

## शुद्धिपत्र

कार्यालय के यदि क्रमांक MCR/Mayor/2024/494-499 दिनांक 19.01.2024 द्वारा जारी नगर निगम, रोहतक की सामान्य बैठक दिनांक 03.01.2024 की कार्यवाही रिपोर्ट में पेज नं0 10 टेबल एजेन्डा नं0 15 के बिन्दु नं0 02 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र.स.	एजेण्डा	निर्णय
15	गांव बोहर के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालय का नाम शहीद सतपाल गिरोह के नाम से करने बारे।	सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

क्रमांक MCR/MAYOR/2024/ 890-95

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़।
2. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकूला।
3. आयुक्त, रोहतक मंडल, रोहतक।
4. उपायुक्त, रोहतक।
5. सभी पार्षदगण, नगर निगम, रोहतक।
6. निजी सहायक आयुक्त नगर निगम को आयुक्त महोदय के सूचनार्थ।

क्रमांक MCR/MAYOR/2024/ 895-906

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को भेजते हुए लिखा जाता है कि अपने से सम्बन्धित एजेन्डा बिन्दुओं पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाते हुए 10 दिन के अन्दर Action Taken Report नगर निगम कार्यालय में भिजवायें:-

1. प्रशासक/ संपदा अधिकारी, हरियाणा, शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
2. अधीक्षक अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं मार्ग) रोहतक।
3. अधीक्षक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।
4. अधीक्षक अभियंता, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, रोहतक।
5. संपदा प्रबंधक, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना निगमए रोहतक।
6. सिविल सर्जन, रोहतक।
7. जिला कल्याण अधिकारी, रोहतक।
8. जिला समाज कल्याण अधिकारी, रोहतक।
9. बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी, रोहतक।
10. जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, रोहतक।
11. जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक।
12. सभी विभागाध्यक्ष, नगर निगम, रोहतक।